न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 68 / 2024(GCMS 2024/244)
(RTI No. 212588567474569)

श्री मुनीष कौंदल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी गांव धन पो.आ. मतलाहर तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176023

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुनीष कौंदल स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुनीष कौंदल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> Provide the current status of case No. CWP 824/2016 Titled as Munish Koundal V/s State of Himachal Pradesh & Ors. at Sr. No. 4 (Photocopy attached as Annex. A) which was represented vide DC (R&R) Raja ka Talab. Himachal Pradesh letter No. 3508/DCR/KG/2016 dated 27.07.2016 and Endorsement [illegible]16 dated 27.07.2016 (Photocopy attached as Annex. B)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )आरटीआई / राजस्व / 2024 / 2578 दिनांक 02.09.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि याचिका संख्या 824 / 2016 अनवानी मुनीष कौंडल बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य के क्रम में उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास), राजा का तालाब, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्रमांक 3508–3516 दिनांक 27.07.2016 से प्राप्त अभ्यावेदन एवं एसडीएम सूरतगढ़ से प्राप्त श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री मंगतराम की मूल आवंटन पत्रावली इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ12(2)(308–अभ्या)राजस्व / 16 / 7281 दिनांक 24.10.2016 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर को प्रेषित किये जा चुके है एवं जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्र क्रमांक 5807–5812 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा उक्त अभ्यावेदन उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ को भिजवाया गया है। इस कार्यलय के रिकॉर्ड में उपलब्ध उक्त दोनों पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
>
> यदि आप उपलब्ध करवाई गयी सूचना से संतुष्ट नहीं है तो श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को अपील कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 647 दिनांक 02.12.2024 से अपीलार्थी की मूल अपील प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, [illegible] है और प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्[illegible] अपने पत्रांक एफ41(5)( )/ आरटीआई / राजस्व / 202[illegible]8.07.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपील लोक सूचना अधिकार अधिनियम संख्या 68 / 2024 मुनीष कौंडल बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, ता.पेशी 09.12.2024 के संबंध में आप द्वारा टिप्पणी मय कार्यालय रिकार्ड चाहा गया है। प्रार्थी श्री मुनीष कौंडल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2024 द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक एफ 41(5)( )आरटीआई / राजस्व / 2578 / दिनांक 02.09.2024 द्वारा आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। जिसकी प्रति सूचनार्थ संलग्न है। आवेदक को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कृपया अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमानें का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2105 दिनांक 22.07.2024 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री [illegible] रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ त[illegible] को [illegible]जकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम** के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश / निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested